न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2860—तीन / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 9—7—13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 1495 / अपील / 2011—12.

1— राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पिता नारायण प्रसाद तिवारी
2— बृजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पिता नारायण प्रसाद त्रिपाठी
निवासी 290 / 4 नोढिया बी.एस.एन.सी.एल. गोरवी कालरी चौकी
गोरवी तहसील चितरंगी जि. सिंगरोली म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1— लाले पिता रामाधीन बैसवार
2— शारदाप्रसाद पिता मटुकधारी बैसवार
3— लालजी पिता रामकुमार बैसवार
4— प्रेमलाल पिता छोटेलाल बैवार
सभी सा. कनई तहसील देवसर जिला सिंगरोली म.प्र.
5— कुन्ती पुत्री रामसुन्दर नाई
निवासी कनई तहसील देवसर
जिला सिंगरोली म.प्र. ——— अनावेदकगण

श्री शारदाप्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री रेवा शंकर, अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4.

आदेश :

(आज दिनांक [illegible] 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1495 / अपील / 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 9—7—13 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा अनावेदक क्र. 5 से प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय करके नामांतरण हेतु आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अनावेदक लाले द्वारा आपत्ति

की गई । विचारण न्यायालय ने प्र.क. 44/अ—6/10—11 में पारित आदेश दिनांक 23—2—11 द्वारा आवेदक का नामातरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 लगायत 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 74/अपील/10—11 पेश की गई ।

नामांतरण हो जाने के उपरांत आवेदकों द्वारा विवादित भूमि के नक्शा तर्मीम हेतु आवेदन पेश किया गया । जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से तर्मीत प्रस्तुत प्रतिवेदन मंगाये जाने का आदेश दिया । राजस्व निरीक्षक द्वारा तर्मीम प्रस्ताव प्रतिवेदन दिनांक 5—5—2011 को पेश किया गया जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 13—5—11 द्वारा की गई । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील कमांक 100/अपील/10—11 पेश की गई है

आवेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में अनावेदक क. 1 के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के तहत प्रश्नाधीन भूमि सर्वे न. 1358/16 के अंश रकबा 0.03 हैक्टर से बेदखली का दावा भी दायर किया गया जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19—7—11 से अनावेदक क. 1 का बेदखल किए जाने का आदेश दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 182/अपील/11—12 पेश की गई ।

अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तीनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जाकर आदेश दिनांक 11—9—12 द्वारा अपील स्वीकार की गई एव विचारण न्यायालय के तीनों आदेश निरस्त किये गये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी स्व. रामसुन्दरनाथ थे । रामसुन्दर दास को वर्ष 1976—77 में प्राप्त हुई थी । उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधिक वारिस अनावेदक क. 3 कुन्ती का वारिसाना नामांतरण किया गया । आवेदकों ने कुन्ती से प्रश्नाधीन भूमि कय की है । अनावेदक कमांक 1 एवं 2 का कोई हक प्रश्नाधीन भूमि पर नहीं है और ना ही उन्हे आवेदक के नामांतरण आवेदन पर किसी प्रकार की को आपत्ति करने का कोई अधिकार था । यह कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण प्रकरण, तरमीम

प्रकरण एवं सां.हे.सा की धारा 250 के प्रकरण का एक साथ निराकरण कर वैधानिक त्रुटि की है अपर आयुक्त ने भी इस तथ्य को अनदेखा कर त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदकों का यह तर्क कि प्रश्नाधीन भूमियां वर्ष 1976–77 में अनावेदक क्र. 5 के पिता को अवैध तरीके से आवंटित की गई सही नहीं है । यदि अनावेदक स्थाइकरण के आदेश से व्यथित थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करना चाहिए थी । राज्य शासन द्वारा वंटन में प्राप्त शासकीय भूमियों के संबंध मे राजस्व पुस्तक परिपत्र मे संशोधन कर शासकीय पट्टेदारों को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किए गए हैं तथा कब्जा दिलाने के संबंध में अधिकार अभियान के तहत राजस्व अधिकारियों को उत्तरदायित्व दिया गया ।

यह तर्क किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि अनावेदक विचारण न्यायालय की सभी कार्यवाहियों में उपस्थित हाते रहे फिर भी उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील काफी विलंब से पेश की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलंब क्षमा करने का कोई समुचित कारण न होते हुए भी उन्होने अपील को स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है । अपर आयुक्त ने भी उनके आदेश की पुष्टि करने मे विधिक भूल की है ।

यह तर्क किया गया कि नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही में अनावेदकों व अन्य लोगो द्वारा अन्य हितधारियों के कब्जा बताए गए इसके अलगा 10–5–90 को नक्शा ट्रेस में 25 लोगों का कब्जा प्रस्तावित होना कहा गया लेकिन किसी ने कोई अपील नहीं की मात्रअनावेदक क्र. 1 द्वारा गलत तरीके से आपत्ति की गई जबकि उसका या उसके पूर्वाधिकारियों का कोई कब्जा दखल विवादित भूमि में नहीं रहा । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकों का प्रकरण मे सुनवाई दिनांक 12–6–14 को 15 दिवस में लिखित बहस पेश करने हेतु समय दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

5– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण का है । जिसमे अनावेदक लाल प्रसाद द्वारा आपत्ति की गई । तहसीलदार ने विधिवत प्रक्रिया अपनाने के उपरांत आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेद क्र. 1 लगायत 4 द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई नामांतरण के पश्चात विवादित भूमि के नक्शा तरमीम का एक आवेदन पेश किया गया जिस पर प्रकरण

पंजीबद्ध कर, प्रतिवेदन बुलाया गया एवं प्रतिवेदन की पुष्टि विचारण न्यायालय ने की जिसके विरूद्ध भी अनावेदकों द्वारा एस. डी.ओ. के समक्ष अपील की गई । आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में अनावेदक कमांक लाले प्रसाद के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के तहत बेदखल करने का दावा किया गया जिस पर से विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 19–7–11 द्वारा बेदखली का आदेश दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध भी अनावेदक ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई । एस.डी.ओ. ने इन तीनो अपीलों को एक साथ सम्मिलित कर आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय के तीनों आदेश निरस्त कए हैं जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील को अपर आयुक्त ने निरस्त किया है । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण मे अलग–अलग वाद कारण के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें एक साथ संयुक्त नहीं किया जा सकता किंतु एस.डी.ओ. द्वारा तीनों प्रकरणो को मिलाकर जो आदेश दिया है वह प्रथमदृष्टया विधि विरूद्ध एवं अन्यायिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और उसे स्थिर रखने मे अपर आयुक्त ने भी त्रुटि की है ।

6— अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि का बटन अनावेदक कमाक 5 के पिता रामसुन्दर नाई के नाम हुआ था तथा बाद मे स्थाईकरण करके भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किया गया । रामसुन्दर नाई की मृत्यु के बाद अनावेदक क. 5 कुन्ती का वारिसाना नामांतरण हुआ और कुन्ती द्वारा आवेदकों को भूमि का विकय किया गया है । अनावेदकों द्वारा रामसुन्दर नाई के पक्ष में हुए व्यवस्थापन एव स्थाईकरण की कार्यवाही को कोई चुनौती नही दी गइ है और ना ही वारिसाना नामांतरण को कोई चुनौती दी गई है, इस बात का अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में किया है । उन्होंने यह भी अपने आदेश में माना है कि कब्जा नामांतरण का आधार नहीं है और कब्जे के आधार पर अनावेदको को कोई लाभ नहीं मिलता है । इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 का प्रश्नाधीन भूमि मे कोई हित निहित नही है । ऐसी स्थिति में अनावदको द्वारा प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटन में प्राप्त भूमि के विकय के संबध में बिना किसी जांच के जो निष्कर्ष निकाले गये है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकों के पक्ष में पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर किए गए नामातरण आदेश के सबंध में कोई विवेचना नही की है और ना तहसील न्यायालय का आदेश क्योकर दूषित है, इसका कोई उल्लेख आदेश मे किया है । उक्त कारणों से भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता

जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी उक्त तथ्यों का अनदेखा कर एस.डी.ओ. के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है, इस कारण उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अपर आयुक्त तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाते हैं ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर